

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 624]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2014—पौष 2, शक 1936

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-11.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010, दिनांक 24 सितम्बर 2011 में गृह विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत गृह विभाग की सेवाएं

क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.1	मृतक के परिवार के सदस्य के आवेदन पर पोस्टमार्टम (पी.एम.) रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदाय करना.	संबंधित थाना क्षेत्र का थाना प्रभारी/अजाक्स थाने की स्थिति में उप पुलिस अधीक्षक, अजाक्स.	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस (एस.डी.ओ.पी.)/नगर पुलिस अधीक्षक (सी.एस.पी.)/अजाक्स थाने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक अजाक्स.	15 कार्य दिवस	पुलिस अधीक्षक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.2	स्टेशन हाऊस ऑफिसर द्वारा फरियादी को एफ.आई.आर. की प्रति न देने पर वरिष्ठ स्तर से एफ.आई.आर. की प्रति प्रदान किया जाना.	अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस (एस.डी.ओ.पी.)/नगर पुलिस अधीक्षक (सी.एस.पी.)/अजाक्स थाने कि स्थिति में पुलिस अधीक्षक अजाक्स.	07 कार्य दिवस	पुलिस अधीक्षक	07 कार्य दिवस	रेंज का पुलिस महानिरीक्षक.
11.5	शस्त्र लायसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना.	जिला दण्डाधिकारी	45 कार्य दिवस	संभागायुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव, गृह

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरिरंजन राव, सचिव.